न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— हरफूल सिंह यादव (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बरः— 95/2012

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा जिला धौलपुर

प्रार्थी

बनाम

1—किरनदेवी पत्नी श्री प्रेमनरायन जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चगौंरा तहसील राजाखेडा हाल भामतीपुरा धौलपुर
2—मीरादेवी पत्नी सुरेशचन्द जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम चगौरा तहसील राजाखेडा हाल निवासी कायस्थपाडा धौलपुर

अप्रार्थीगण

(रेफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 एल0आर0एक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थीगण ओर से — श्री नीरज शर्मा एडवोकेट

निर्णय **दिनांक 21.02.2018**

तहसीलदार राजाखेडा द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 880 रकवा 51 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम चगौंरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर की किस्म मुताबिक भू—प्रबन्ध खतौनी के गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थीं। उक्त आराजी ख0न0 880 रकवा 51 बीघा 05 विस्वा भूमि अप्रार्थीगण किरनदेवी व मीरादेवी को आबटिंत की गई थी जिसका नामान्तकरण संख्या 449 ग्राम

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

चगौंरा में उक्त आबंटी के नाम दर्ज होकर दिनांक 20.5.1985 को निर्णित हुआ। उक्त आराजी की आबंटन से पूर्व किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रिकार्ड थी। आर टी एक्ट 1956 की धारा 16 में उक्त प्रकरण भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबन्धित है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 449 नियम विरूद्व स्वीकृत हुआ है। अतः नामान्तकरण संख्या 449 ग्राम चगौरा तहसील राजाखेडा का रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ रिपोर्ट पटवारी हल्का चगौरा, नक्शा ट्रेस, खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2022, जमाबन्दी सम्बत 2028 से 41 ग्राम चगौरा, नकल नामान्तकरण संख्या 449 ग्राम चगौरा, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम चगौरा तहसील राजाखेडा पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री नीरज शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर नोटिस का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि विवादित आराजी का आवंटन दिनांक 4.4.85 को जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा अप्रार्थीगण को किया गया। आवटंन आदेश की पालना में नामान्तकरण संख्या 449 ग्राम चगौरा दिनांक 26.5.85 द्वारा स्वीकार किया गया अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा है। तहसीलदार राजाखेडा ने प्रार्थना पत्र धारा 14(4) वीहड भूमि आवंटन नियम 1967 अप्रार्थीगण के खिलाफ आवंटन निरस्ती पेश किया। प्रकरण संख्या 159/97 सरकार बनाम किरनदेवी वगैरा न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 23.3.1999 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया गया जिसकी अपील संख्या 12/99 किरनदेवी वगैरा बनाम सरकार न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर दिनांक 22.3.2005 को खारिज हो चुकी है। न्यायालय अधीनस्थ का आदेश यथावत रखा है। उक्त दोनों आदेशों की अपील एल/आर/76 धौलपुर/2448/2005 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर उनवानी किरनदेवी वगैरा बनाम सरकार बिचाराधीन है तारीख पेशी 19.12.2017 नियत है। न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील बिचाराधीन है तो प्रार्थना पत्र की कार्यवाही पोषणीय नहीं है क्योकि आवंटन आदेश के खिलाफ अपील विचाराधीन है। रैफरेन्स की कार्यवाही केवल राय होती है जिसमें अधिकार तय नहीं होते है। राजस्व अभिलेख में किस्म गैर मुमकिन बेहड अंकित है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जा चुकी है तो पुनः रेफरेन्स की कार्यवाही किस्म गैर मुमकिन की आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अप्रार्थीगण को तंग व परेशान तथा दुर्भावना पूर्वक न्यायालय का समय वर्वाद करने के लिये पेश की गयी है जो काबिल खारिजी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी पोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी तहसीलदार राजाखेडा पोषणीय नहीं होने के कारण विशेष हर्जा के साथ खारिज किये जाने की प्रार्थना की ।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल छाया प्रति आदेश दिनांक 23.3.1999 मुकद्दमा नम्बर 159/97 न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर, नकल छायाप्रति आदेश दिनांक 22.3.2000 अपील संख्या 12/99 न्यायालय आर ए ए भरतपुर, नकल छायाप्रति अपील उनवानी किरनदेवी बनाम सरकार न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर पेश की है।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि उक्त आराजी आवटंन से पूर्व किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज रेकार्ड है। आर टी एक्ट 1955 की धारा 16 के तहत गैरमुमकिन नाला पर खातेदारी देय नहीं है। उक्त अधिनियम में गैरमुमकिन भूमि के आवटंन/नियमन नल एण्ड वोयड है। उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 449 ग्राम चगौंरा तहसील राजाखेडा नियम बिरूद्व स्वीकृत हुआ है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाब, पानी का भराब में किसी प्रकार बाधा नही हो। इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रक्रिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के फैसले में निर्देश दिये गये है। अतः प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि तहसीलदार राजाखेडा ने प्रार्थना पत्र धारा 14(4) अप्रार्थीगण के खिलाफ आवंटन निरस्ती हेतु पेश किया। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर ने दिनांक 23.3.1999 को स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया गया जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर दिनांक 22.3.2005 को खारिज हो चुकी है। न्यायालय अधीनस्थ का आदेश यथावत रखा है। उक्त दोनों आदेशों की अपील एल/आर/76 धौलपुर/2448/2005 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर उनवानी किरनदेवी वगैरा बनाम सरकार बिचाराधीन है। न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील बिचाराधीन है तो प्रार्थना पत्र की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। तहसीलदार राजाखेडा द्वारा आवंटन निरस्ती की कार्यवाही की जा चुकी है तो पुनः रेफरेन्स की कार्यवाही की आवश्यकता नहीं थी। समान पक्षकार व एक ही आराजी बावत दुबारा कार्यवाही नहीं की जा सकती है। अपील विचाराधीन है पूर्व में दावा/प्रार्थना पत्र का निर्णय किया जा चुका है तो पुनः निर्णय उसी बिन्दु पर नहीं किया जा सकता है अन्यथा वाद/प्रार्थना पत्र का अन्त नहीं होगा और अपील विचाराधीन है वह स्थिति होगी जो दावा पुनः नहीं किया जा सकता है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर बी जे 1999 पेज 336 एवं ए आई आर 1975 गुहाटी पेज 40 के न्यायिक नजीरें पेश कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी पोषणीय नहीं होने के कारण प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया।

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

हमने अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अप्रार्थीगण का यह कथन है कि तहसीलदार राजाखेडा ने अप्रार्थीगण के विरूद्व उक्त विवादित आराजी से सम्बधित प्रार्थना पत्र धारा 14(4) आवंटन निरस्ती हेतु पेश किया। न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर ने दिनांक 23.3.1999 को प्रा0पत्र स्वीकार कर आवंटन निरस्त किया गया जिसकी अपील न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी पदेंन राजस्व अपील अधिकारी भरतपुर दिनांक 22.3.2005 को खारिज हो चुकी है। उक्त दोनो आदेशों की अपील एल/आर/76धौलपुर/2448/2005 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में बिचाराधीन है तो उक्त रैफरेन्स की कार्यवाही पोषणीय नहीं है। इस सम्बध में यहॉ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व प्रकरण आवंटन की शर्तो की पालना नहीं करने के आधार पर थे और यह रैफरेन्स गैर मुमकिन नाला प्राकृतिक जलप्रवाह में अवरोध के आधार पर है। उक्त रेफरेन्स अब्दुल रहमान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रकरण में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 2.8.2004 की पालना में किया गया है। उक्त आदेश में नदी, नाले, पानी बहाब, पानी का भराब में किसी प्रकार बाधा नही हो इसलिये 1947 की स्थिति कायम करने हेतु विधिक प्रकिया अपनाकर कार्यवाही करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के फैसले में निर्देश दिये गये है। इस प्रकार उक्त विवादित आराजी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत खातेदारी से अपबर्जित है। उक्त विवादित आराजी खसरा नम्बर 880 रकवा 51 बीघा 05 विस्वा वाके ग्राम चगौंरा तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर किस्म गैर मुमकिन नाला पर अप्रार्थीगण की गैर खातेदारी का नामान्तरण संख्या 449 एंव आवंटन/नियमन नल एण्ड वॉयड है जिसको कि निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है, जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना उचित समझते है।

अतः ग्राम चगौंरा पटवार मण्डल सामोर तहसील राजाखेडा के विवादित आराजी खसरा नम्बर 880 रकवा 51 वीधा 05 विस्वा, किस्म गैर मुमकिन नाला जिसका कि आवंटन/नियमन अप्रार्थीगण के नाम किया गया था जिस पर कि वर्तमान में नामान्तकरण संख्या 449 से अप्रार्थीगण गैर खातेदार के रूप में दर्ज रिकार्ड है, की खातेदारी अधिकार निरस्ती हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 27.03.2018 नियत की जाती है।

प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे।

(हरफूल सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज.)

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर